International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 5; September 2018; Page No. 74-78

सतना जिला : ग्रामीण अधिवास का एक भौगोलिक अध्ययन

प्रदीप सिंह
शोधार्थी भूगोल, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के भौतिक एवं सामाजिक कल्याण में संवर्धन करना है। समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास में समांकलन एक ''विधितंत्र'' ग्रामीण क्षेत्र, उसका ''केन्द्र बिन्दु'' एवं ''विकास'' उसका उद्देश्य है। समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास के संतुलित विकास से संबंधित है जिसमें भौतिक परिवेश में सामाजिक आर्थिक क्रियाओं के उपयुक्त अवस्थिति का निर्धारण विशेष महत्वपूर्ण है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सामाजिक न्याय मिल सकता है।
विभिन्न पिछड़े क्षेत्र क्रमशः अस्तित्व में लाये जा सकते हैं, इनका भौगोलिक क्षेत्र एवं जनसंख्या का सन्तुलन भी बढ़ता रहेगा और उसी के साथ–साथ सेवा केन्द्र और विकास केन्द्र भी बढ़ते रहेगें। केन्द्रीय ग्राम, सेवा केन्द्र, विकास केन्द्र तथा क्षेत्रीय नगर सड़क, आवागवन के साधनों, संचार साधनों द्वारा नगरों एवं महानगरों से जोड़े जा सकगें। सम्पूर्ण विकास का नियोजन करते समय हमें सेवा केन्द्रों के स्थानों का चयन तथा आर्थिक नियोजन की सम्भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। लघु स्तरीय नियोजन को किसी अधिवास के विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह केन्द्रीय स्थानों को ध्यान में रखकर नियोजन की नीति बनाने पर बल देता है। इसका उद्देश्य है कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर चलकर सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास किया जाय। बहुत से समस्याओं में यह क्षेत्र जिले से अलग भी हो सकता है। ऐसा करने में स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं और उनके विकास के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का आपसी सामंजस्य तथा सही स्थान पर उनकी स्थापना सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के आधार बिन्दु हैं।

मूल शब्द : सतना जिला, ग्रामीण अधिवास, भौगोलिक अध्ययन।

प्रस्तावना
ग्रामीण अधिवास (Rural Settlement) – शरण (आवास) मानव की प्रमुख एवं प्रारम्भिक आवश्यकता है। मनुष्य भूमि पर जिस स्थान को शरण या निवास के लिये चुन लेता है और शरण के लिए घर, मकान, निवास, भवन अथवा झोपड़ी आदि का निर्माण करता है, उसे मानव का अधिवास या बस्ती कहते हैं। अधिवास में सभी प्रकार के आश्रमों को सम्मिलित किया गया है। वह चाहे घास–फूंस खप्पर हो, लकड़ी और मिट्टी का बना मकान अथवा अत्याधुनिक मानचित्रों में निर्मित पक्का भवन या किला थे। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य करके एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। अतः निकाय के लिये निर्मित मकानों के अतिरिक्त कल कारखानों वा फैक्ट्रियों की बिल्डिंग शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं की इमारतों तथा धार्मिक भवन आदि सभी अधिवास के अन्तर्गत आते हैं।

अधिवास के प्रकार
अधिवासों के आकार स्वरूप कार्यों तथा मकानों अथवा झोपड़ियों आदि की पारस्परिक दूरी को ध्यान में रखकर इन्हें दो प्रधान वर्गों में रखा जा सकता है –
1. प्रतिकीर्ण अधिवास या बिखरे अधिवास
2. सघन अथवा अधिपिड़न अधिवास

डॉ. एम.डी. कौसिक ने अधिवासों को चार वर्गों में विभक्त किया है[1]–
1. प्रतिकीर्ण या एकाकी अधिवास।
2. सघन या अधिपिड़न अधिवास।
3. संयुक्त अधिवास।
4. 4.अपखण्डित अधिवास।

प्रतिकीर्ण अधिवास में मकान अलग–अलग एक दूसरे के बीच में कृषि भूमि को छोड़कर बने होते हैं। अमेरिका वा कनाड़ा में अधिवास को कृषि गृह अथवा वास गृह कहते हैं।

कार्य वा गुणों के आधार पर सघन अधिवास को दो वर्गों में विभाजित किया गया है।
1. ग्रामीण अधिवास
2. नगरी अधिवास

ग्रामीण अधिवास में अधिकतर कृषक वर्ग निवास करते हैं जिनका जीवकोपार्जन कृषि या पशुपालन है, उन्हें ग्रामीण अधिवास कहा जाता है।
नगरीय अधिवास जनसंख्या वा घनत्व के दृष्टि से अधिक होते हैं। नगरीय अधिवास में निर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा सेवा आदि की बहुतायत होती है।

ग्रामीण अधिवास के प्रकार
ग्रामीण अधिवासों के भी आकार एवं स्वरूप के दृष्टि में कई भेद होते हैं–
(अ) पुरवा वा नगला (Hamlet)
(ब) गांव (Village)
(स) बाजारी गांव (Market Village)

(अ) पुरवा वा नगला – कुछ घर झोपड़ियों का समूह होते हैं। इसमें लगभग एक ही बिरादरी के लोग अथवा एक परिवार के लोग निवास करते हें। पुरवा नगला में बने माकानों की कोई कार्य योजना नहीं होती है।

(ब) गांव – गांव में मुख्यतः कृषक वर्ग निवास करता है, कृषि कार्य

को सहायता करने वाले अन्य लोग – लोहार, बढ़ई, धोबी, नाई, दर्जी।

(स) बाजारी गांव – गांव में जब बाजार विकसित हो जाती है, तो वह बाजारी गांव कहलाता है।

कस्बा (Town) : गावों में जहाँ परिवहन, आवागमन, प्रशासनिक कार्यालय आदि खुल जाते हैं, जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक होती है, वे कस्बा (Town) के श्रेणी में आ जाते हैं।

ग्रामीण अधिवासों की विशेषतायें अथवा ग्रामीण अधिवासों के मुख्य लक्षण

1. ग्रामीण अधिवास में निवास करने वाले लोगों का मुख्य साधन कृषि है, जिसमें अधिकांश कृषक निवास करते हैं, जिनका कृषि भूमि से सीधा सम्बन्ध है। अधिकांश ग्रामीण अधिवासों का वितरण नदियों के उपजाऊ मैदानों में मिलता है।
2. ग्रामीण अधिवास के लोगों में अधिक सहकारिता एवं सहयोग की भावना होती है।
3. ग्रामीण अधिवास के मकानों को दो खण्डों में बनाया जाता है, एक परिवार के सदस्यों के लिये, दूसरा पशुओं को बांधने, चारा काटने वा कृषि उपकरण रखने हेतु। मुख्य मकान में अलग–अलग ढालान या बैठक बनाया जाता है, जिसमें पुरुष वर्ग के सोने, बैठने वा आगन्तुकों के ठहरने की व्यवस्था होती है।
4. ग्रामीण अधिवासों के मकान छोटे अथवा स्थानीय सामग्री, मिट्टी की दीवालों पर घास–फूस, बांस, लकड़ी वा खपरैल की छतों से निर्मित होते हैं।
5. ग्रामीण अधिवास के निर्माण की कोई योजना नहीं होती है। भूमि की उपलब्धि वा सुविधानुसार बनाये जाते हैं।
6. मुख्य गांव के पास समान व्यवसाय के लोगों की अलग–अलग बस्तियां होती है। बस्तियों में निवास के आधार पर नामकरण कर दिया जाता है।
7. ग्रामीण अधिवास किसी ऊंची भूमि पर कृषि के लिये अनुपयुक्त भूमि पर बनते हैं। परन्तु जल की सुविधा का ध्यान रखा जाता है।
8. सतना जिला में बहुसंख्यक ग्रामीण अधिवास पर्वत, पठार, मैदान व जंगली भागों में हैं, जहाँ झील, झरने, तालाब, नदियों आदि के जल श्रोत हैं। गांवों में आज भी पहुंच की सुविधाएं कम है।

सतना जिला में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण

सतना जिले में जनगणना वर्ष 2001 में कुल जनसंख्या 1484551 ग्रामीण, जिसमे पुरुष 756510 तथा महिला 1484551 थी। जनगणना वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या 1754517 थी, जिसमें पुरुष 907904, स्त्रियां 846613 हैं। जनसंख्या में दशक में वृद्धि 2001–2011 में 18. 18 ग्रामीण जनसंख्या है।[2]

तालिका 1: सतना जिला में लिंगानुसार ग्रामीण जनसंख्या का वितरण

जिला / तहसील / विकासखण्ड	ग्रामीण जनसंख्या, 2001			ग्रामीण जनसंख्या, 2011			ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 2011–11
	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	
जिला सतना	766510	718041	1484551	907904	846613	1754517	18.18
तहसील–रघुराजनगर	95902	88380	184282	108242	98922	207164	12.41
तहसील–मझगवां	53566	48490	102056	62149	56607	118756	16.36
तहसील–रामपुर बाघेलान	65961	62272	128233	79960	74529	154489	20.47
तहसील–नागौद	94121	86672	180793	109182	100641	209823	16.06
तहसील–उचेहरा	74286	69066	143352	89176	83343	172519	20.35
तहसील–अमरपाटन	87868	83766	171634	105531	99822	205353	19.65
तहसील–रामनगर	68090	65303	133393	81203	78211	159414	19.51
तहसील–मैहर	133907	126290	26017	163854	154679	318533	22.42
तहसील–बिरसिंहपुर	48478	45307	93785	56632	51804	108436	15.62
तहसील–कोटर	44331	42495	86826	51975	48055	100030	15.21

स्रोतः जनगणना 2001–2011

सतना जिला में ग्रामीण अधिवास के प्रकार

सतना जिला में मुख्य रूप से अधिवासित ग्रामीण बस्ती को निम्न अधिवास प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है –

1. सामूहिक या सघन अधिवास– सतना जिला में सामूहिक रूप से ग्रामीण अधिवास पाये जाते हैं। ऐसे गांव स्वयं में एक इकाई के रूप में है। सामूहिक या सघन अधिवास को आकार के हिसाब से कई श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है –

1. पुरवा या नगला
2. ग्राम
3. बाजारी गांव या कस्बा

इसमे पुरवा अधिवास का सबसे छोटा रूप है। इस तरह के गांव सतना जिला में मझगवां वा चित्रकूट में पहाड़ी या जंगली आबादी के अधिवास पाये जाते हैं।

1. संयुक्त अधिवास – एक प्रधान गांव हो ताकि उस गांव में 2 से 4 छोटे–छोटे पुरवें होते हैं। इनका अलग–अलग नाम होता है। ऐसे गांव अमरपाटन तहसील, सोहावल, रामपुर बाघेलान, कोटर आदि के पास बहुतायत में पाये जाते हैं।

2. अपखण्डित अधिवास – जिस ग्रामीण अधिवास में मकान एक दूसरे से थोड़ी दूर पर बने होते हैं अथवा दो या तीन मकानों के छोटे–छोटे पुरवें थोड़ी–थोड़ी दूर पर बने होते हैं, इन सभी को मिलाकर एक अधिवास बनता है। इन्हें अपखण्डित श्रेणी में रखा जाता है, ऐसे मकान सतना जिले में तालाब झरने या नदियों के किनारे पाये जाते हैं। नहरों के किनारे भी सतना जिला में बने हुए हैं।

सतना जिला में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप अधिवास के प्रकार और प्रतिरूप में अन्तर होता है

अधिवास का प्रकार, उसमें बने मकानों की संख्या और मकानों के बीच की पारस्परिक दूरी पर निर्धारित होता है। अधिवास का प्रतिरूप बसाव की आकृति के अनुसार बनता है। इस प्रकार सतना जिला के ग्रामीण अधिवास के निम्न मुख्य प्रतिरूप मिलते हैं –

चौन पही प्रतिरूप

मैदानों में जहां दो मुख्य सड़कें एक–दूसरे से लगभग समकोण कर क्रास करती हैं, वहां क्रास स्थल पर बसने वाले गावों मे प्रतिरूप बनता है, गावों की गलियां मुख्य सड़कों के समान्तर होती है और वे एक–दूसरे को समकोण पर काटकर आपातों का निर्माण करती है। इन सड़कों पर गलियों के किनारे पर मकान सुनियोजित ढंग से बने हुए सुन्दर दिखाई देते हैं, जैसे– कोठी, कसवा, अमरपाटन के पास बसी बस्ती आदि।

रेखीय प्रतिरूप

जब गांव किसी नदी सड़क या नहरों के किनारे बसा होता है, इस प्रकार का प्रतिरूप दिखता है –

1. आरीय प्रतिरूप (Redial Pattern)।
2. वृत्तीय प्रतिरूप (Circular Pattern) – झील या तालाब के किनारे या पहाड़ी के चारों ओर जैसे चित्रकूट कामतानाथ, बिरसिंहपुर।
3. तारा प्रतिरूप – आरीय प्रतिरूप तारा प्रतिरूप में बदल जाता है, जसो, बरौंधा।
4. त्रिभुजाकार प्रतिरूप (Triangular Pattern) – माधवगढ़, सज्जनपुर ये नदियों के किनारे रोड़ से लगे हुए बने हुए हैं इनकी आकृति त्रिभुजाकार है।
5. तीरनुमा प्रतिरूप – ग्राम बेला।
6. सीढ़ीनुमा प्रतिरूप (Terrace Pattern) – पर्वतीय ढलानों पर चित्रकूट के आस–पास।
7. चौकोर प्रतिरूप – नागौद तहसील, मैहर।
8. पंखानुमा प्रतिरूप।

ग्रामीण अधिवासों के उत्पत्ति एवं विकास में सहायक कारक

1. जल की सुविधा
2. भू–स्वरूप
3. सूर्य प्रकाश ढाल का रूख
4. जलवायु
5. उपजाऊ भूमि
6. सुरक्षा

अन्य कारक

धार्मिक एवं सामाजिक संस्थायें, आर्थिक एवं सामाजिक कारक भी मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सतना जिला में ग्रामीण अधिवासों के मकान निर्माण सामग्री तथा मकानों के प्रकार।

सतना जिला में विभिन्न भागों में पाये जाने वाले मकानों की स्थिति, आकृति तथा आकार में बड़ी असमानता मिलती है। विभिन्नता के लिये निम्न कारक उत्तरदायी हैं –

1. जलवायु
2. भूमि बनावट और ढाल
3. जल प्राप्ति की दशा
4. आर्थिक दशा
5. सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताएं
6. राजकीय नियम
7. निर्माण सामग्री

सतना जिला में मकानों का वर्गीकरण

मकानों का वर्गीकरण कई दृष्टिकोणों से किया जाता है। मकानों की आकृति, आकार, निर्माण की सामग्रियां तथा उपयोग आदि के दृष्टि से बड़ी विभिन्नता है। इसमें विद्वानों में काफी भिन्नताएं हैं।

डॉ. एस.डी. कौशिक ने मकानों का वर्गीकरण, उनकी आकृति, आकार निर्माण सामग्री तथा कार्यों आदि दृष्टिकोण में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है, जिसे संक्षिप्त में यहाँ दिया जा रहा है –

(अ) आकृति के अनुसार

1. ढालू छत के मकान – सतना जिले में जंगली भाग, पर्वतीय भाग वा पठारी भागों में इस प्रकार के मकान बहुतायत में पाये जाते हैं, इसमें स्थानीय लकड़ी, बांस, बल्ली, पत्थर, मिट्टी का गारा, खपरैल या स्थानीय घास का उपयोग कर मकान का निर्माण किया जाता है।
2. सपाट छत के मकान – मैदान भाग अमरपाटन, कोटर, बिरसिंहपुर, रामपुर बाघेलान, सोहावल आदि विकासखण्डों में इस प्रकार के मकान मिलते हैं।
3. ढालू सपाट छत का मिश्रित मकान।
4. चौकोर या आयताकार मकान।
5. वृत्ताकार मकान– पहाड़ी क्षेत्र मैहर, चित्रकूट, मझगवां में पाये जाते हैं।
6. चहर दीवार से घिरे मकान– इस तरह के आवास पुराने किले–माधवगढ़, कोठी, रामनगर, सोहावल, कृष्णगढ़ रामपुर आदि में पाये जाते हैं।

(ब) आकार के अनुसार वर्गीकरण

1. छोटे आश्रम – जगह–जगह खेतों में पाये जाते हैं।
2. झोपड़ियां – जंगली स्थानो में।
3. एक मंजिला मकान
4. दो मंजिला मकान
5. तीन मंजिला मकान।

(स) निर्माण सामग्री के अनुसार वर्गीकरण

1. छप्पर के बने झोपड़े – पशुपालन हेतु।
2. बांस वा लकड़ी के मकान– जगली भागों में।
3. मिट्टी की दीवाल, घास–फूस की छत।
4. पक्की ईट व लकड़ी और खपरैल की छत वाले मकान।
5. ईटा, पत्थर, लोहा तथा सीमेन्ट निर्मित मकान।

(द) कार्यों के अनुसार वर्गीकरण –

1. निवास के लिये मकान।
2. पशुओं के लिये मकान।
3. कृषि यंत्रों के लिये सेड़।
4. संयुक्त मकान– मानव, पशु, कृषि उपकरण आदि रखने का मकान।

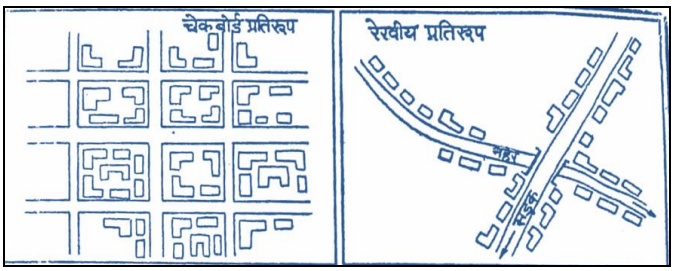

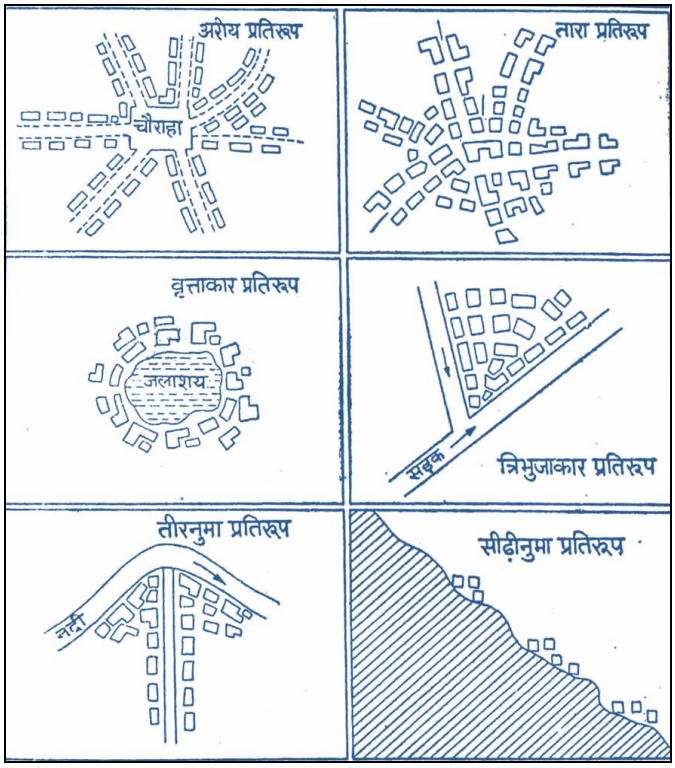

आकृति 1: ग्रामों के प्रतिरूप

पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न सोपान

आज भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था विद्यमान है उसका श्रेय बलवंत राय गोपाल राय मेहता समिति को जाता है, जिनकी अध्यक्षता में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायतीराज का श्री गणेश हुआ। बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन पंचायती राज के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व रखता है क्योंकि मेहता प्रतिवेदन में आधारभूत सिद्धांत और संस्थाओं का स्वरूप निश्चित किया गया था।

73वें संविधान संशोधन के बाद स्थापित पंचायतीराज का स्वरूप सामान्यतयाः उन्हीं आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। जिन्हें मेहता समिति ने दिया था। इन सिद्धांतों के अनुरूप भारत में विभिन्न राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था का गठन स्वरूप में थोड़े बहुत अंतर के साथ 73वें संविधान संशोधन के अनुसार स्थापना की गई है। पंचायतीराज व्यवस्था के निम्न सोपान हैं–

ग्रामीण सेवा केन्द्र I

प्रथम स्तर – ग्राम पंचायत – भारतीय लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई है। ग्राम प्रधान का चुनाव क्षेत्र की समस्त जनता द्वारा पृथक मतदान द्वारा करना सुविधाजनक होता है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक ही कर्मचारी को लेखापाल तथा पंचायत सचिव का कार्यभार दिया जा सके तो कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कुछ न्यायिक अधिकार भी दिये जा सकें तो पंचायत क्षेत्र के छोटे–छोटे विवाद आसानी से निपटाये जा सकेगें। जहाँ तक सम्भव हो दोनों पक्षों की सहमति से ही निर्णय लिये जाने चाहिए, उपरोक्त न्यायालय को ''समझौता न्यायालय'' का दर्जा दिया जा सके तो उपयुक्त होगा। इस न्याय पंचायत में ग्राम प्रधान लेखापाल/पंचायत सचिव, दो पंचायत सदस्य तथा दो अवकाश प्राप्त ग्राम प्रधान सम्मिलित किये जा सकते हैं।[3]

ग्रामीण सेवा केन्द्र II

द्वितीय स्तर विकासखण्ड जनपद पंचायत – सतना जिला में 8 विकासखण्ड हैं, प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर योजनायें संचालित है। बी.डी.सी. के सदस्यों के चुनाव हेतु विकासखण्ड क्षेत्र को लगभग 8–10 उपक्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक उप क्षेत्र से एक बी.डी.सी. सदस्य का चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव के साथ ही प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जा सकता है।[4]

ब्लाक पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी ग्राम पंचायत के साथ ही विकासखण्ड क्षेत्र की समस्त जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जा सके तो भ्रष्टाचार, धन की पराधीनता, राजनीतिक गुटबंदी तथा अस्मायित्व का प्रकोप, काफी कम होता जायेगा। दूसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि ब्लाक प्रभुत्व का चुनाव विकासखण्ड के समस्त ग्राम प्रधानों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा किया जाये। क्षेत्रीय पंचायत को कुछ न्यायिक अधिकार भी दिये जा सकें तो ग्रामीण जनता को पर्याप्त राहत मिल सकेगी।

ग्रामीण सेवा केन्द्र III

तृतीय स्तर – जिला जनपद पंचायत या जिला परिषद – पंचायती राज के क्रमिक विकास में तृतीय स्तर पर जनपद पंचायत जिला परिषद का गठन इस प्रकार किया गया है जिसका मुख्यालय सतना जिला पंचायत भवन है, जिससे के पंचायतीराज को पर्याप्त सीमा तक भ्रष्टाचार धन की पराधीनता, राजनीतिक दल बंदी, जातिवाद साम्प्रदायिकता की बेड़ियों से मुक्त रखा जा सके। जनपद पंचायत के सदस्यों तथा अध्यक्ष का चुनाव ग्राम प्रधानों द्वारा मुफ्त मतदान द्वारा किया जाये तो भ्रष्टाचार पर पर्याप्त नियंत्रण किया जा सकेगा। प्रत्येक विकासखण्ड क्षेत्र से एक सदस्य चुना जा सकता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष को चुनाव में जनपद के सभी ग्राम प्रधान मतदान में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार सदस्यों के क्रय–विक्रय पर तथा राजनीतिक अस्थायित्व पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जा सकेगा।

जनपद से संबंध सभी सांसद, विधायक तथा मेयर जनपद मुख्यालय पर स्थित नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जनपद पंचायत के सदस्य होना चाहिए। सभी बहुमत के आधार पर लिये जा सकते हैं। पंचायतीराज के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिये कम से कम 33 प्रतिशत ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर आवश्यक होने चाहिए यदि उसके ऊपर कोई आरोप हो तो न्यायालय मे ंले जाना चाहिए।[5]

जिलाधीश का कोई प्रतिनिधि स्थायी रूप से जनपद के सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सके तो जनपद का जनपद के विकास, नियोजन तथा प्रशासन के साथ सम्पर्क बना रहेगा।

निष्कर्ष

सतना जिला के अधिवास सेवा केन्द्र वा केन्द्रीय गांवों उनके पृष्ठ प्रदेशों में भावी विकास हेतु शासन स्तर पर किये गये प्रयासों का सामान्य जनजीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो समन्वित ग्रामीण विकास की अति संकल्पना में समाहित है। ग्रामीण सेवा केन्द्र उनका केन्द्र बिन्दु है तथा विकास उसका लक्ष्य है जो एक दूसरे के पूरक हैं।

भावी विकास का आंकलन इस बात पर निर्भर है कि सेवा केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय केन्द्रीय गांव एवं उनके पृष्ठ प्रदेशों में विकासखण्ड/तहसीलवार सतना जिला में 'ग्रामीण विकास' की कार्य योजना को मूर्तरूप देने हेतु शासन–प्रशासन स्तर पर

किन–किन रूपों में प्रयास किये गये हैं, स्थानीय ग्रामों को विकास की अवधारणा के अनुरूप कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। इस दिशा में ग्रामीण सेवा केन्द्र वा केन्द्रीय भावों का उत्तरदायित्व अपने प्रभाव क्षेत्रों के अन्तर्गत स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। ग्रामीण समुदाय का भौतिक एवं सामाजिक कल्याण, शासन का मुख्य लक्ष्य है, इस दिशा में किये गये प्रयास जनहित में ग्रामीण सेवा केन्द्रों की उपलब्धियां है।

सतना जिला में शासन स्तर पर सेवा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय का भौतिक एवं सामाजिक कल्याण हेतु कार्य किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिवास केन्द्रों में विस्थापित अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना। यह एक ऐसी व्यूह रचना है जो निर्धन ग्रमीणों के आर्थिक एवं समुदायिक जीवन की उन्नत बनाने के लिये बनाई गई है। इस तरह ग्रामीण अधिवास त्रिदिशाई कार्यक्रम है।[6]

1. यह एक विधि है जिसके कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ग्रामीण क्षेत्रों आवासित लोगों को सम्मिलित किया जाता है।
2. यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परम्परागत ग्रामीण अधिवास संस्कृति केन्द्रों को तकनीकी एवं विज्ञान के प्रयोग द्वारा आधुनिक बनाया जाता है।
3. यह एक उद्देश्य है जिसके द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार किये जाते हैं।
4. ग्रामीण अधिवास के विकास हेतु मूलभूत सुविधाओं का विकास करना तथा जनकल्याण हेतु पंचायती राज लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर एकीकृत ग्रामीण विकास या समन्वित विकास के आधार पर विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करना है।

जनपद पंचायत के माध्यम से पंचायतीराज आज केन्द्र तथा राज्य सरकारों तक पहुँचाई जा सकती है। जनपद पंचायत केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य एक सेतु का कार्य कर सकती है। ग्राम पंचायत/नगर पालिका परिषद संसद (राष्ट्रीय पंचायत) तक भारतीय लोकतंत्र राष्ट्र की एकता का प्रतीक बन सकता है तथा ग्रामीण अधिवास जो सांस्कृतिक केन्द्र है, उसके आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, ग्रामीण इकाई पंचायत के द्वारा स्वयं प्रमाण से, स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियान्वयन करना है। शासन द्वारा इन्हें विकास का मार्ग, उसका उत्तर दायित्व सौंप दिया है।

सन्दर्भ

1. डॉ. कौशिक, एम.डी., मानव भूगोल।
2. जिला विकास पुस्तक, 2013, जिला सतना (जिला योजना एवं सांख्यकी कार्यालय, सतना)।
3. सिंह कुंवरपाल, पंचायतीराज को राष्ट्रीय स्वरूप देने की आवश्यकता, कुरुक्षेत्र, पृष्ठ 21.
4. वही, पृष्ठ 21.
5. सिंह कुंवरपाल, पंचायतीराज को राष्ट्रीय स्वरूप देने की आवश्यकता, कुरुक्षेत्र, पृष्ठ 21.
6. डॉ. काला सुधा, पंचायतीराज ग्रामीण विकास का राज, पृष्ठ 17.